न्यायालय राजस्व मण्डल ग्वालियर

रा.नि.प्र.क्र................... / 2018

निगरानी-2587/2018/देवास/भू.रा.

मांगीलाल पिता दर्यावसिंह कुलमी

उम्र 70 धंधा वकालत एंव कृषिस

निवासी ग्राम बडीचुरलाय तह व जिला देवास म.प्र

कृषक ग्राम जंगीपुर तह सोनकच्छ जिला देवास म.प्र ...प्रार्थी

विरूद्ध

01 मदनलाल पिता दर्यावसिंह कुलमी

उम्र 55 वर्ष धंधा कृषि

02 राकेश पिता मदनलाल कुलमी

उम्र 30 वर्ष धंधा कृषि

निवासीगण ग्राम बडीचुरलाय तह एंव जिला देवास म.प्र

कृषक ग्राम जंगीपुर तह सोनकच्छ जिला देवास म.प्र ..प्रतिप्रार्थी

निगरानी धारा 50 म.प्र.भु.रा.सहिता के अन्तर्गत

महोदय,

आदीनस्त न्यायलय श्रीमान अपर आयुक्त उज्जैन सम्भाग उज्जैन के प्र.क्र 638/अपील/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 16.03.2018 से असंतुष्ट होकर मांगीलाल विरूद्ध मदनलाल आदि में पारित आदेश से असंतुष्ट होकर यह निगरानी माननिय न्यायालय में पेश है । प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार टप्पा भौरासा तह सोनकच्छ जिला देवास ग्राम जंगीपुर के नामांतरण पंजी आदेश दिनांक 08.08.2007 के

नि.....02

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी/देवास/भूरा/2018/2587

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-6-18	आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा ग्राहयता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 16-3-2018 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अपर आयुक्त के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय द्वारा प्रश्नाधीन नामान्तरण आदेश आपसी सहमति के आधार पर विधिक रूप से पारित किया गया है जिसे दोनों अपीलीय न्यायालयों द्वारा स्थिर रखने में कोई त्रुटि नहीं की गई है। अत: अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष हस्तक्षेप योग्य नहीं होने से यह निगरानी अग्राहय की जाती है । अध्यक्ष	